

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

संख्या-07/मनी रसीद-24-110/2015

पटना, दिनांक-

परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनी रसीद संख्या-0484001KK से 0488000 KK 40 (चालीस) भॉल्यूम एवं 0538001KK से 0540000KK तक 20 (बीस) भॉल्यूम, कुल 60 (साठ) भॉल्यूम जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार को दिनांक-12.12.2017 को निर्गत किया गया।

उक्त के परिवहन के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार को आवंटित 60 (साठ) भॉल्यूम मनी रसीद में से 20 (बीस) भॉल्यूम मनी रसीद, जिसकी संख्या-0538001KK से 0540000KK तक है। रास्ते में खो जाने की सूचना प्राप्त हुई है। जिसके आलोक में सहायक थाना कटिहार में प्राथमिकी संख्या-938/2017 दर्ज की गई है।

उपर्युक्त 20 (बीस) भॉल्यूम मनी रसीद जिसका क्रम संख्या-0538001KK से 0540000KK तक है, को निर्गमन की तिथि से रद्द किया जाता है एवं सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त क्रम संख्या वाले मनी रसीद उपयोग किया जाना गैर कानूनी माना जाएगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 02-01-18

ज्ञापांक- 22

प्रतिलिपि- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-राह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।